



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी
प्रेस नोट

दिनांक-12.11.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मण्डुवाडीह में पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 1000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0188/2011 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संजय सिंह उर्फ राजू पुत्र रामानन्द सिंह निवासी D-65/111 लहरतारा थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-11.11.2024 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-05 जनपद वाराणसी द्वारा अभियुक्त संजय सिंह उर्फ राजू उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।